संख्या-249/2026/703(1)/41-2-2026-CN-**2034266**

प्रेषक,

सर्वेश कुमार सिंह,
अनु सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

महानिदेशक,
पर्यटन,
उ0प्र0, लखनऊ।

पर्यटन अनुभाग-2 लखनऊ, दिनांक **31** मार्च, 2026

विषय-वित्तीय वर्ष 2025-26 में अनुदान सं0-44 के लेखाशीर्ष 3452-**पर्यटन**-80-**सामान्य**-001-**निदेशन तथा प्रशासन**-03 **अधिष्ठान के मानक मदों हेतु पुनर्विनियोग के माध्यम से वित्तीय स्वीकृति प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में।**

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-512357/21-1-1 (पुनर्विनियोग) नजा0-89/2025, दिनांक 19.03.2026 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके माध्यम से चालू वित्तीय वर्ष 2025-26 के अनुदान संख्या 44 के लेखाशीर्ष 3452-पर्यटन-80-सामान्य-001-निदेशन तथा प्रशासन-03 अधिष्ठान-01-वेतन मद के अन्तर्गत उपलब्ध प्रावधान रु0 700.00 लाख में हो रही बचत रु0 20.00 लाख के सापेक्ष निम्नवत् मदों हेतु पुनर्विनियोग के माध्यम से स्वीकृत किये जाने का अनुरोध किया गया है:-

(धनराशि रूपये लाख में)

क्र0	**मानक मद**	**पुनर्विनियोग हेतु प्रस्तावित धनराशि**
1	**2**	**3**
1	02-मजदूरी मद	1.07
2	46-कम्प्यूटर हार्डवेयर मद	7.40
3	47-कम्प्यूटर अनुरक्षण मद	6.00

2. इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि आपसे प्राप्त प्रस्ताव के क्रम में चालू वित्तीय वर्ष 2025-26 के अनुदान सं० 44 लेखाशीर्ष 3452-पर्यटन-80-सामान्य-001-निदेशन तथा प्रशासन-03 अधिष्ठान-01-वेतन मद के अन्तर्गत उपलब्ध प्रावधान रु0 700.00 लाख में हो रही बचत रु0 20.00 लाख के सापेक्ष निम्नवत् मदों हेतु धनराशि पुनर्विनियोग के माध्यम से संलग्न बी0एम0-9 आदेश संख्या-703/41-2-2026-CN-2034266, दिनांक 31 मार्च, 2026 द्वारा प्रदान की गयी है:-

(धनराशि रूपये लाख में)

क्र0	**मानक मद**	**पुनर्विनियोग के माध्यम से स्वीकृत धनराशि**
1	**2**	**3**
1	02-मजदूरी मद	1.07
2	46-कम्प्यूटर हार्डवेयर मद	7.40
3	47-कम्प्यूटर अनुरक्षण मद	6.00
	कुल	**14.47**

उक्त कुल धनराशि रू0 14.47 लाख (रू० चौदह लाख सैंतालीस हजार मात्र) को पुनर्विनियोग के माध्यम से निम्नलिखित शर्तों/प्रतिबन्धों के अधीन श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं :-

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

(1) पुनर्विनियोग के माध्यम से वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-6/2025/बी-1-352/दस-2025-231/2025**,** दिनाँक 27.03.2025 में निहित शर्तों एवं प्रावधानों के अन्तर्गत ही सुनिश्चित किया जायेगा।

(2) पुनर्विनियोग के माध्यम स्वीकृत की जा रही धनराशि का आहरण एवं व्यय आवश्यकतानुसार तथा नियमानुसार किया जायेगा। स्वीकृत धनराशि का पी0एल0ए0/बैंक खाते आदि में नही रखा जायेगा। स्वीकृत धनराशि का मदवार व्यय-विवरण शासन को सक्षम स्तर से उपलब्ध कराया जायेगा।

(3) पुनर्विनियोग के माध्यम स्वीकृत की जा रही धनराशि का उपयोग वर्तमान वित्तीय वर्ष 2025-26 में ही सुनिश्चित किया जायेगा तथा यदि कोई धनराशि बचती है तो उसे इसी वित्तीय वर्ष में नियत तिथि 31.03.2026 के पूर्व शासन को समर्पित/राजकोष में जमा कराने की कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी।

(4) व्यय प्रबन्धन एवं शासकीय व्यय में मितव्ययिता के सम्बन्ध में वित्त विभाग द्वारा समय-समय पर जारी आदेशों का विशेष रूप से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय। इसके साथ-साथ राजकीय धन व्यय करने में उ0 प्र0 बजट मैनुअल के प्रस्तर-12 में दी गयी शर्तों की पूर्ति तथा वित्तीय औचित्य के मानकों (स्टैण्डर्डस आफ फाइनेन्शियल प्रोप्राइटी) का महालेखाकार**,** प्रयागराज से कराये जाने की कार्यवाही सुनिश्चित की जाय।

3. इस संबंध में होने वाला व्यय

लेखाशीर्ष: 3452800010300 (अधिष्ठान-पर्यटन निदेशालय)

	अनुदान संख्या	**लेखा शीर्षक**	**मानक मद**	**प्रस्तावित धनराशि**
1	**044**	**3452800010300** अधिष्ठान-पर्यटन निदेशालय	**02** मजदूरी	**1,07,000** **(** रुपये एक लाख सात हजार मात्र **)**
2	**044**	**3452800010300** अधिष्ठान-पर्यटन निदेशालय	**46** कम्प्यूटर हार्डवेयर/साफ्टवेयर का क्रय	**7,40,000** **(** रुपये सात लाख चालीस हजार मात्र **)**
3	**044**	**3452800010300** अधिष्ठान-पर्यटन निदेशालय	**47** कम्प्यूटर अनुरक्षण/तत्सम्बन्धी स्टेशनरी का क्रय	**6,00,000** **(** रुपये छह लाख मात्र **)**
	कुल		**14,47,000 (रुपये चौदह लाख सैंतालीस हजार मात्र)**	
महायोग		**14,47,000** **(** रुपये चौदह लाख सैंतालीस हजार मात्र **)**		

के नामे डाला जायेगा।

4. यह आदेश वित्त (आय - व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-6/2025**/**बी-1-352/दस-2025-231/2025, दिनाँक-27**-**मार्च**,** 2025 में प्रशासकीय विभाग को उक्तवत प्रतिनिधानित अधिकार के अंतर्गत निर्गत किये जा रहे है।

भवदीय,
(सर्वेश कुमार सिंह)
अनु सचिव।

संख्या एवं दिनांक तदैव

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, प्रयागराज।
2. महालेखाकार (लेखा-परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, प्रयागराज।
3. मुख्य कोषाधिकारी जवाहर भवन लखनऊ।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

4. निदेशक, वित्तीय सांख्यिकीय निदेशालय, जवाहर भवन, लखनऊ ।
5. वित्त नियंत्रक, पर्यटन निदेशालय, लखनऊ।
6. निदेशक, पर्यटन, उ0 प्र0, लखनऊ ।
7. वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-7, उ0 प्र0 शासन, लखनऊ
8. वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/2, उ0 प्र0 शासन, लखनऊ
9. गार्ड-फाइल।

आज्ञा से,

(सर्वेश कुमार सिंह)
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

बी एम-9 (भाग - 1)
पुनर्विनियोग के लिए आवेदन / स्वीकृति
(संदर्भ : बजट मैनुअल का प्रस्तर- 158)

A041-20252026-41-2-2026-CN-2034266

विषय:-पुनर्विनियोग के माध्यम से धनराशि की व्यवस्था किये जाने के सम्बन्ध में।

निम्नलिखित निधियो से प्रस्तावित संक्रमण

अनुदान संख्या	लेखाशीर्ष	मानक मद	आवेदन पत्र देने के दिनांक पर उपलब्ध अनुदान / विनियोग	आवेदन पत्र देने के दिनांक पर उपलब्ध बचत	संक्रमित की जाने वाली धनराशि	वित्त विभाग द्वारा संक्रमण हेतु अनुमोदित धनराशि	संक्रमण के पशचात् शेष अनुदान / विनियोग	वित्तीय वर्ष
044	3452800010300 (अधिष्ठान-पर्यटन निदेशालय)	01 (वेतन)	4,81,50,000 रुपये चार करोड़ इक्यासी लाख पचास हजार मात्र	81,50,000 रुपये इक्यासी लाख पचास हजार मात्र	14,47,000 रुपये चौदह लाख सैंतालीस हजार मात्र	14,47,000 रुपये चौदह लाख सैंतालीस हजार मात्र	4,67,03,000 रुपये चार करोड़ सड़सठ लाख तीन हजार मात्र	2025-2026
कुल					**₹ 14,47,000**	**₹ 14,47,000**		

निम्नलिखित निधियो मे प्रस्तावित संक्रमण

"

अनुदान संख्या	लेखाशीर्ष	मानक मद	वित्तीय वर्ष के लिए उपलब्ध / विनियोग	संक्रमण हेतु प्रस्तावित धनराशि	वित्त विभाग द्वारा अनुमोदित संक्रमण की धनराशि	संक्रमण के पशचात् उपलब्ध अनुदान / विनियोग	वित्तीय वर्ष
044	3452800010300 (अधिष्ठान-पर्यटन निदेशालय)	47 (कम्प्यूटर अनुरक्षण/तत्सम्बन्धी स्टेशनरी का क्रय)	25,00,000 रुपये पच्चीस लाख मात्र	6,00,000 रुपये छह लाख मात्र	6,00,000 रुपये छह लाख मात्र	31,00,000 रुपये इकतीस लाख मात्र	2025-2026
044	3452800010300 (अधिष्ठान-पर्यटन निदेशालय)	46 (कम्प्यूटर हार्डवेयर/साफ्टवेयर का क्रय)	32,00,000 रुपये बत्तीस लाख मात्र	7,40,000 रुपये सात लाख चालीस हजार मात्र	7,40,000 रुपये सात लाख चालीस हजार मात्र	39,40,000 रुपये उनतालीस लाख चालीस हजार मात्र	2025-2026

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

अनुदान संख्या	लेखाशीर्ष	मानक मद	वित्तीय वर्ष के लिए उपलब्ध / विनियोग	संक्रमण हेतु प्रस्तावित धनराशि	वित्त विभाग द्वारा अनुमोदित संक्रमण की धनराशि	संक्रमण के पशचात् उपलब्ध अनुदान / विनियोग	वित्तीय वर्ष
044	3452800010300 (अधिष्ठान-पर्यटन निदेशालय)	02 (मजदूरी)	22,50,000 रुपये बाईस लाख पचास हजार मात्र	1,07,000 रुपये एक लाख सात हजार मात्र	1,07,000 रुपये एक लाख सात हजार मात्र	23,57,000 रुपये तेईस लाख सत्तावन हजार मात्र	2025-2026
कुल				**₹ 14,47,000**	**₹ 14,47,000**		

कृपया उपरोक्त प्रस्ताव पर निम्नलिखित शर्तो के अधीन प्रशासनिक विभाग को अनुमोदन देना चाहे :-

1- पुनर्विनियोग के माध्यम से निवर्तन पर रखी जा रही धनराशि का व्यय वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-6/2025/बी-1-352/दस-2025-231/2025 दिनांक 27.03.2025 में निहित शर्तों एवं प्रावधानों के अन्तर्गत ही सुनिश्चित किया जायेगा।

2- पुनर्विनियोग के माध्यम से निवर्तन पर रखी जा रही धनराशि जिस कार्य/मद हेतु प्रदान की जा रही है उसका उपयोग नियमानुसार उसी कार्यमद हेतु किया जायेगा।

3- पुनर्विनियोग के माध्यम से निवर्तन पर रखी जा रही धनराशि का आहरण एवं व्यय आवश्यकतानुसार तथा नियमानुसार किया जायेगा। स्वीकृत धनराशि का पी0एल0ए0/बैंक खाते आदि में नही रखा जायेगा। स्वीकृत धनराशि का मदवार व्यय-विवरण शासन को सक्षम स्तर से उपलब्ध कराया जायेगा।

4- पुनर्विनियोग के माध्यम से निवर्तन पर रखी जा रही धनराशि का उपयोग वर्तमान वित्तीय वर्ष 2025-26 में ही सुनिश्चित किया जायेगा तथा यदि कोई धनराशि बचती है तो उसे इसी वित्तीय वर्ष में नियत तिथि के पूर्व शासन को समर्पित/राजकोष में जमा कराने की कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी।

5- व्यय प्रबन्धन एवं शासकीय व्यय में मितव्ययिता के सम्बन्ध में वित्त विभाग द्वारा समय-समय पर जारी आदेशों का विशेष रूप से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय। इसके साथ-साथ राजकीय धन व्यय करने में उ0प्र0 बजट मैनुअल के प्रस्तर-12 में दी गयी शर्तों की पूर्ति तथा वित्तीय औचित्य के मानकों (स्टैण्डर्डस आफ फाइनेन्शियल प्रोप्राइटी) का महालेखाकार, प्रयागराज से कराये जाने की कार्यवाही सुनिश्चित की जाय।

2. प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त पुनर्विनियोग में उ0प्र0 बजट मैनुअल के प्रस्तर-150,151 में निर्दिष्ट प्रतिबन्धों/परिसीमाओं का उल्लंघन नहीं होता है।

संख्या:RE-budget-1-779-E-7-289-X-2025-26-दिनांक: 29-03-2026

सेवा में,

महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)
प्रथम/द्वितीय,
उ0प्र0, प्रयागराज।

(सर्वेश कुमार सिंह)
अनु सचिव।

(मंजीत सिंह)
अनु सचिव।

संख्या-703/41-2-2026-CN-2034266 दिनांक 31 मार्च, 2026
प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उ0 प्र0, प्रयागराज।
2. महानिदेशक पर्यटन, उ0प्र0 लखनऊ।
3. महालेखाकार (लेखा परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उ0 प्र0, प्रयागराज।
4. वित्त नियंत्रक, पर्यटन निदेशालय, लखनऊ।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

5. मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
6. क्षेत्रीय पर्यटन अधिकारी (कार्मिक), पर्यटन निदेशालय, लखनऊ।
7. वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-7, उ0 प्र0 शासन, लखनऊ।
8. वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1, उ0 प्र0 शासन, लखनऊ।
9. गार्ड-फाइल।

आज्ञा से

(सर्वेश कुमार सिंह)
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।